

9/9/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील इन पक्ष उपस्थित।  
 इन पक्ष में से कुछ पक्षवाले उपस्थित जिनकी  
 पहचान उनके संबंधित दायीकरणों द्वारा की गई थी।  
 इनके हाथों पर उपस्थित-स्वयं एतादत द्वारा  
 किए हुए एक आवेदन इन पक्ष के द्वारा पेश  
 किया गया। उपपक्ष के उपस्थित दायीकरणों  
 द्वारा आवेदन में लिखे गए प्रपक्ष का खर्चा  
 होना बताया पर उपस्थित पक्षवालों के द्वारा  
 नोटिस बजाया गया एक नोटिस पेश की  
 उपस्थित हैं आवेदन के प्रपक्ष की  
 स्वीकृति स्वयं एतादत बखाना शांति निवास

वकील  
 एतादत  
 आवेदन  
 शांति निवास

किया। आवेदन के मुताबिक इन पक्षवालों के  
 अर्थात् शांति के मौजूद लोगों द्वारा प्रपक्षवाले  
 का जने के चलकर स्वयं एतादत शांति निवास है जहां से लिखा  
 उपपक्ष दायीकारी पोषण का प्रपक्ष का 9/1/19  
 समझा गया कि शांति निवास के वकील में निर्णय कि  
 30.7.2020 को पारित किया है और जो शांति निवास, शांति  
 निवास के वकील न बने के मुताबिक कि वह एक दायीकारी  
 स्वीकार करते हैं। दायीकारी इनकी स्वीकृति नहीं  
 चलाना चाहते हैं और न ही उपपक्षवालों का इसे शांति  
 निवास के वकील प्रपक्ष की शेष शेष का स्वयं एतादत  
 नहीं बने। इन, शांति निवास, पेशिका निवेदन है कि  
 इनकी पारित शांति निवास जैसा बताया गया।



आवेदन पर विचार किया। शांति निवास  
 द्वारा से रिगार होकर इनके नामालूम में चला करे कि  
 21.7.2020 के दिनांक में इनकी पेश हुई। इन पक्ष के दायीकरणों  
 के प्रपक्ष द्वारा जिसे बताया कि प्रपक्ष को स्वीकार कर शांति  
 निवास का नोटिस है इसलिए इनकी स्वीकृति पर शांति निवास  
 को जने के चलकर स्वयं एतादत खर्च की जाती है शांति निवास की  
 कसम से किया जा चुका है। पत्रावली जैसा हुआ है नंबर है  
 कम है। आज तकनीक शांति निवास दायीकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 वाडमेर